—::: परियोजना प्रतिवेदन ::—

छत्तीसगढ़ शासन, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिक विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर द्वारा अपने आदेश क्रमांक 3-11/2018/56 इसूप्रौ दिनांक 11.05.2018 के द्वारा विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ 4-54/2014/56 इसूप्रौ दिनांक 26.10.2015 में उल्लेखित प्रावधानों के अंतर्गत छत्तीसगढ़ संचार क्रांति योजना (SKY) अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न जिलों के मुख्य मार्गों के किनारों पर ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने के लिए राईट ऑफ–वे की निःशुल्क अनुमति प्रदान की गई है।

"मेसर्स ज़ियो डिज़ीटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड" द्वारा जशपुर जिले के जशपुर वनमंडल अंतर्गत मुख्य मार्गों के समानांतर कुल 578.86 कि.मी. सड़क के किनारे राईट ऑफ–वे के अंतर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने का कार्य प्रस्तावित है। इस कार्य को संपादित करने हेतु आवश्यक लागत रूपये 1280 लाख है।

उपरोक्तानुसार कुल 578.86 कि.मी. सड़क के किनारे ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने का कार्य प्रस्तावित है, जिसमें से 155.46 कि.मी. वनक्षेत्र से होकर गुजरती है एवं कुल 7.773 हेक्टेयर वनभूमि प्रभावित हो रही है। जिसका वन संरक्षण अधिनियम 1980 (FCA 1980) अंतर्गत व्यपवर्तन किया जाना है। व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित 7.773 हेक्टेयर वनभूमि की मांग आवश्यक एवं न्यूनतम है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं है।

Digital Fiber Pvt. Ltd.

(अमन कुमार सिंह)
महाप्रबंधक (कॉर्पो. अफेयर्स)
ज़ियो डिज़ीटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड
रायपुर (छ.ग.)